तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/12/24.	पत्रावली, वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 07 R11 प्रस्तुत हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इस आधार पर राहत चाही है कि प्रार्थीगण मीणा (ST) जनजाति के सदस्य है, इस कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान वादीगण पर लागू नहीं होते है। अत: वादी क्रम ① को ग्राम कंवरपुरा नीलन तथा इकलेराखेड़ा, स्व. नाथूलाल के 1/6 हिस्से की भूमि में 2/5 हिस्से का, वादी क्र. ② को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी क्र. ① को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्र. ② लगायत ④ को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी क्र. ① द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद नामंजूर किये जाने अन्तर्गत 07 R11 व 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में जो रीलीज डीड दिनांक 22/8/2006 व 22/7/2010 तथा विक्रय पत्र दिनांक 3/7/12 को रजिस्टर्ड निष्पादित हुए है। तथा रजिस्टर्ड दस्तावेजात को सिविल कोर्ट	

न्यायालय उपखण्ड कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	से निरस्त करावे बगैर खातेदारी घोषणा का वाद मेन्टेनेबल नहीं है। तथा धारा 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित है।
	वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R 11 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरुस्ती का है, जिसका श्रवणाधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है। अन्य तथाकथित रिलीज डीड प्रभावशून्य दस्तावेज है, जो स्वतः ही अवैध है। प्रभावशून्य एवं अवैध दस्तावेजों को न तो अवैध घोषित करवाने की आवश्यकता होती है और ना ही निरस्त करवाने की। अतः प्रार्थनापत्र 07 R 11 CPC सव्यय निरस्त फरमाया जावे।
	प्रार्थनापत्र 07 R 11 CPC पर बहस वकुलाए फरीकैन सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि तीन रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित हुए हैं, जिनके आधार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज भी हो चुका है। रजिस्टर्ड दस्तावेजों को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। सेल व रीलीज को केन्सिल कराये बिना राजस्व रिकार्ड में शुद्धि का दावा किया है, जो मेन्टेनेबल नहीं है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वर्णित ~~कसमया~~ किया गया कि बहनों का कोई हक प्रारम्भ से ही प्राप्त नहीं था, अतः उनके द्वारा निष्पादित कोई भी दस्तावेज प्रारम्भ से अवैध व प्रभावशून्य है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किए गए - 1. 2023(1) RRT 137 2. 2018 (1) RLW 826 3. DNJ (SC) 166 4. 2019 DNJ (SC) 131 5. 2023 (1) RRT-372 6. 2015 (1) RRT-100 7. 2015 (1) RRT-474 हमने विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) RRT 100 में स्पष्टतया निर्धारित किया गया है कि -" वाद में मात्र किन्तु पैतृक भौमिकार की उद्घोषणा को लेकर है अतः यह विधि द्वारा वर्जित नहीं है तथा विक्रयपत्र की वैधता या विधिकता पर विचार किये बिना वादी का हित राजस्व न्यायालय घोषित कर सकता है। यदि भूमि पैतृक है तथा वादी उसके सहअंशधारी है तो विषय सामग्री और अनुतोष को देखते हुए केवल राजस्व न्यायालय ही प्रकरण को तय कर सकता है। न्यायिक दृष्टान्त 2023 (1) RRT 137 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि -" अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति से है और धारा 2(2) के दृष्टिगत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। पुत्रियाँ कृषिभूमि में हिस्से की माँग नहीं कर सकती। पिता की सम्पत्ति में

उपखण्ड अधिकारी कोटा
उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपील न्यायालय किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती जब तक कि धारा 2(2) में संशोधन न हो।" उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के वाद पत्र का निस्तारण साक्ष्य व विस्तृत विवेचना के परिणामस्वरूप ही हो सकेगा। अत: परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R 11 व 151 CPC अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 13/12/24 को पेश हो। 02/12/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटा	